



REGIONAL OFFICE
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD

Plot No. 14-15, Meena Colony, Behind Jail, Sawai Madhopur - 322001

Phone- 07462-294921 Email-rorpcb.swm@gmail.com



Registered/E-mail

RO/PCB/SWM/KRL-1134/810-815

Date: 13/07/2026

Member Secretary,
State Level Expert Appraisal Committee, Rajasthan
4, Institutional Area, Jhalana Doongri
Jaipur.

Subject:- Minutes of Public Hearing dated 01.07.2026 conducted for Environmental Clearance of M/s Coral Associates for their proposed Plot No.- 30, Khasra No. 1532/1619, of Sand Stone (Minor Mineral) Mining Project, Area – 1.290 Ha. (Proposed), Production Capacity – 116428 TPA (ROM), Cluster Area :- 9.044 Ha., Near Village Kota, Tehsil- Masalpur, Distt. Karauli (Raj.)

Ref:- 1. Office of the District Collector Sawai Madhopur letter no.1440 dated 12.05.2026.
2. Public hearing conducted on 01.07.2026 at **Bharat Nirman Rajeev Gandhi Seva Kendra Gram Panchayat – Kota (Chawar), Tehsil – Masalpur, District - Karauli.**

Respected Sir,

Please find enclosed herewith minutes of public hearing dated 01.07.2026 conducted at **Bharat Nirman Rajeev Gandhi Seva Kendra Gram Panchayat – Kota (Chawar), Tehsil – Masalpur, District – Karauli.** for Environmental Clearance M/s Coral Associates for their proposed Plot No.- 30, Khasra No. 1532/1619, of Sand Stone (Minor Mineral) Mining Project, Area – 1.290 Ha. (Proposed), Production Capacity – 116428 TPA (ROM), Cluster Area :- 9.044 Ha., Near Village Kota, Tehsil- Masalpur, Distt. Karauli (Raj.)

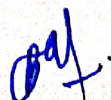
Information regarding the public hearing was published by project proponent on 15.05.2026 in newspaper of Karauli edition of The Indian Express and on 15.05.2026 in newspaper of Karauli edition of Dainik Bhaskar.

The public hearing of the above proposed mining project was conducted on 01.07.2026 and proceeding of the same is hereby enclosed in original along with pen drive of videography carried during public hearing, photography, attendance sheet and copy of newspaper published as above mentioned.

Enclosed:-

1. Minutes of meeting of public hearing in original (5 pages).
2. Attendance sheet of persons present during public hearing in original (3 pages).
3. Videography of public hearing in Pen drive & Photographs.
4. Copy of newspapers published dated 15.05.2026 and 15.05.2026.

Yours sincerely


(Baljeet Meena)
Regional Officer

01/07/26

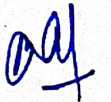


REGIONAL OFFICE
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
Plot No. 14-15, Meena Colony, Behind Jail, Sawai Madhopur - 322001
Phone- 07462-294921 Email-rorpcb.swm@gmail.com



Copy to the following for information & necessary action :-

1. The Member Secretary, Rajasthan State Pollution Control Board, 4, Institutional Area, Jhalana Doongari, Jaipur.
2. The District Collector Office, Karauli.
3. Sub Divisional Officer and Sub Divisional Magistrate, Karauli.
4. Analyst Cum Programmer , Rajasthan State Pollution Control Board, Jaipur with request to upload the proceeding of public hearing on Board's website.
5. M/s Coral Associates, 2nd Floor, Cabin No.4, Corporate Tower, R.S.G., The Universe Campus, Hiran Mangri, Extension, Opp. Sector 9, Udaipur (Rajasthan).


Regional Officer

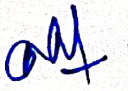


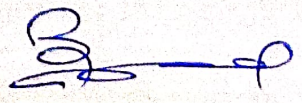
(Public Hearing Minutes of Meeting)

पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु जनसुनवाई दिनांक 01.07.2026 का
कार्यवृत्त

मैसर्स कोरल एसोसियेट्स द्वारा प्रस्तावित सेण्ड स्टोन (Minor Mineral) खनन परियोजना , प्लॉट न. 30, खसरा न. 1532/1619, एरिया 1.290 हैक्टर, उत्पादन क्षमता— 116428 टन (ROM), कलस्टर क्षेत्रफल — 9.044 हैक्टर, निकट ग्राम— कोटा, तहसील — मासलपुर व जिला— करौली, (राजस्थान) के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अन्तर्गत आवश्यक पर्यावरणीय जन सुनवाई दिनांक 01.07.2026 को दोपहर 01:00 बजे ग्राम पंचायत — कोटा (छावर) के "भारत निर्माण राजीव गाँधी सेवा केन्द्र" ग्राम कोटा (छावर), तहसील— मासलपुर, जिला— करौली में श्री अनिल कुमार उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, करौली (जिला कलेक्टर करौली के प्रतिनिधी) एवं श्री बलजीत मीणा, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सवाई माधोपुर की उपस्थिति में आयोजित की गई। जनसुनवाई के दौरान 26 लोग उपस्थित रहे। (उपस्थिति पत्र "परिशिष्ट अ" पर संलग्न है)।

जनसुनवाई के लिए नियमानुसार आमसुचना समाचार पत्र "द इंडियन एक्सप्रेस" करौली संस्करण में दिनांक 15/05/2026 तथा "दैनिक भास्कर" में दिनांक 15/05/2026 को प्रकाशित करवा दी गयी थी एवं मुनादी एक दिवस पूर्व दिनांक 30.06.2026 को ग्राम कोटा एवं ग्राम पंचायत — कोटा (छावर), में करवाई गई।


(बलजीत मीणा)
क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
सवाई माधोपुर

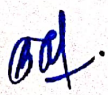

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

(गणित अधिकारी)
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
सवाई माधोपुर

सर्वप्रथम क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सवाई माधोपुर द्वारा उपखण्ड अधिकारी, करौली एवं उपस्थित आमजन का स्वागत करते हुए बताया कि आज की जनसुनवाईयों सेण्ड स्टोन (Minor Mineral) की 8 खनन परियोजनाओं जो कि प्लॉट संख्या 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 एवं 34 के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अन्तर्गत यह जनसुनवाई आयोजित की जा रही है। जिनमें प्लॉट संख्या 27, 28, 29, 30, 31 एवं 32 मैसर्स कोरल एसोसियेट्स द्वारा प्रस्तावित है एवं प्लॉट संख्या 33 एवं 34 मैसर्स फिन्नुराम मीणा द्वारा प्रस्तावित है। यह जनसुनवाई प्लॉट संख्या 30 के लिए की जा रही है जिसमें खनन परियोजना पर्यावरणीय सलाहकार आपको परियोजना के बारे में विस्तार से बताएंगे जिसके उपरान्त इस परियोजना से सम्बन्धित आपके सुझाव एवं आपत्तियाँ ली जाएंगी, जो आप केमरों के सामने मौखिक या लिखित दे सकते हैं जिसकी रिकॉर्डिंग की जावेगी एवं जनसुनवाई की बैठक के कार्यवृत्त (Minutes) बनाकर राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मुल्यांकन समिति (SEAC) को भेजा जावेगा उसके बाद वहा निर्णय होगा की पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करनी है या नहीं।

इसके पश्चात खनन परियोजना के पर्यावरणीय/तकनीकी सलाहकार से आग्रह किया की इस खनन परियोजना के बारे में प्रजेन्टेशन के माध्यम से उपस्थित ग्रामवासीयों/जनसमूह को अवगत कराये।

परियोजना के पर्यावरणीय/तकनीकी सलाहकार ने सेण्डस्टोनमाईन क्लस्टर की खदान प्लॉट संख्या 30 (1.290 हैक्टर) उत्पादन क्षमता ROM 116428 टन प्रतिवर्ष की प्रस्तावित परियोजना की मुख्य विशेषताएँ, खनन योग्य खनिज भण्डार, खनन विधि, खान की आयु, अध्ययन क्षेत्र का

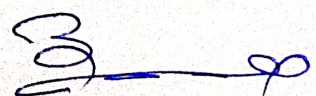

(बलजीत मीणा)
क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
सवाई माधोपुर


उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

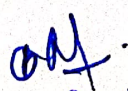
विवरण, टोपोग्राफी, खनन से होने वाले संभावित पर्यावरणीय प्रभाव और न्यूनीकरण उपाय, पर्यावरण संरक्षण के उपाय, कामगारों के कल्याण के लिए और प्रस्तावित सामाजिक जिम्मेदारी (CSR) से सम्बंधित जानकारी उपस्थित ग्रामवासियों/जनसमूह को बताई गयी।

क्षेत्रीय अधिकारी ने परियोजना सलाहकार को खनन कार्य के दौरान खनिज परिवहन हेतु उपयोग आने वाले वाहन को ढकने एवं खनन पट्टे के चारों तरफ तारबन्दी करने के निर्देश दिये जिससे कि भुलवश मानव अथवा मवेशी खनन क्षेत्र में ना जा पाये एवं दुर्घटना से बचा जा सकें इसी सन्दर्भ में उपखण्ड अधिकारी द्वारा स्पष्ट किया कि बारिश के दौरान माइनिंग पीट पानी से भर जाते हैं जिनमें छोटे बच्चे अथवा जानवरों का डुबने का खतरा बना रहा है इसके प्रतिउत्तर में परियोजना सलाहकार द्वारा बताया गया कि खनन कार्य की शुरुआत में सुरक्षा के उद्देश्य से खनन पट्टे के चारों तरफ तारबन्दी की जावेगी एवं कालान्तर में पर्याप्त पत्थर उपलब्ध होने पर पत्थरों की दिवार बनाई जावेगी। उपखण्ड अधिकारी द्वारा भी खनन पट्टे के चारों तरफ तारबन्दी अथवा सुरक्षा दिवार बनाने के फायदे बताते हुये कहा कि दिवार होने से आप अनुमत सीमा के बहार खनन कार्य नहीं कर पायेगें एवं सुरक्षा की दृष्टि से उचित रहेगा साथ ही साथ उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिवार के किनारे पानी की निकासी हेतु नाला बनाने के निर्देश दिये।

क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा खनन पट्टे के चारों तरफ पौधा रोपण करने के निर्देश दिये तथा इसके फायदे बताते हुए कहा की पौधा रोपण से धूल दमन होगा एवं मजदुरों के बैठने के लिए छाव रहेगी, तापमान कम रहेगा जितना अधिक पौधारोपण होगा उतना अधिक लाभ होगा एवं पौधे



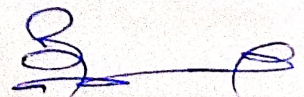
उपखण्ड अधिकारी
कसौली (राज०)


(बलजीत मीणा)
क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
मवाई माधोपुर

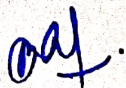
फेन्सिंग का काम करेंगे साथ ही साथ सड़क के दोनों किनारों पर पौधा रोपण करने के निर्देश दिये।

इसके उपरान्त क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा ग्रामवासीयों से खनन परियोजना के सन्दर्भ में उनके सुझाव अथवा आपत्तियाँ लिखित या मौखिक रूप से रखने के लिए अनुरोध किया।

श्री बाबुलाल, ग्राम वासी, - कोटा ने पुछा की प्लॉन न. 30 कौनसी जगह में स्थित है जिसके उपरान्त श्रीमति रचना कुमारी (पटवारी) द्वारा स्पष्ट करते हुये कहा कि आज 8 प्लॉट में खनन कार्य की स्वीकृती हेतु जनसुनवाई हो रही है यह 8 प्लॉट दो खसरा (खसरा न. 1532/1619 एवं 1519/1617) में स्थित है। ये सारे 8 प्लॉट आस पास जुड़े हुये है तथा ये 8 प्लॉट ग्राम रतियापुरा, मनियापुरा एवं बहराउण्डापुरा के पास स्थित है जिसके उपरान्त क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा श्री बाबुलाल को सम्बोधित करते हुये कहा की जनसुनवाई में पीछे की तरफ बेनर लगा है उसमें दो खसरा न. 1532/1619 एवं 1519/1617 अंकित है वहा पर ये खनन पट्टे स्थित है जिनका राजस्व गांव कोटा छावर है इसी की पुष्टि करते हुये श्रीमति रचना कुमारी (पटवारी) द्वारा पुनः बताया गया की उक्त खनन पट्टे केवल दो ही खसरा में आवंटित किये गये है जो कि ग्राम रतियापुरा, मनियापुरा एवं बहराउण्डापुरा के पास स्थित है एवं आपके यहा से रतियापुरा, मनियापुरा एवं बहराउण्डापुरा जाने का कोई रास्ता नहीं है इन खनन परियोजना के द्वारा रास्ता बनाने से आपके लिए भी आवागमन सुगम हो जायेगा एवं आपके पास जो वाहन है टेक्टर ट्रौली आपको भी खनन परियोजना में काम मिलेगा तथा पत्थर के काम में भी लोगों को रोजगार मिलेगा।



उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)



(बलजीत मीणा)

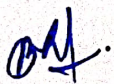
क्षेत्रीय अधिकारी

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
सवाई माधोपुर

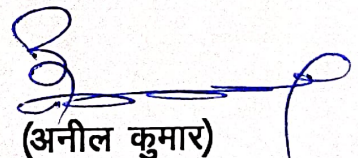
श्री विजेन्द्र सिंह, कोटा ने पुछा की अगर यह रतियापुरा के पास स्थित है तो रतियापुरा में तो फोरेस्ट भूमि है इसी में श्रीमति रचना कुमारी (पटवारी) द्वारा स्पष्ट करते हुऐ कहा कि रतियापुरा के नाम से फोरेस्ट रेन्ज जरूर है लेकिन फोरेस्ट से इन खनन पट्टों का कोई लेना देना नहीं है ये खनन पट्टे सवाईचक्क भूमि में स्थित है जो कि कोटा छावर में आती है।

क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा भी स्पष्ट किया कि वन क्षेत्र की अलग सीमाएं होती है एवं राजस्व गांव की अलग सीमाएं होती है। इन खनन पट्टों का खसरा राजस्व गांव कोटा छावर में आता है एवं खनन पट्टे वन भूमि में स्थित नहीं है इसी क्रम में उपखण्ड अधिकारी भी स्पष्ट किया की खनन पट्टों से छावर वन की दुरी लगभग 1000 फीट (800-900 फीट) है एवं फोरेस्ट से एन.ओ.सी ली जाती है एवं वन भूमि पर खनन कार्य को अनुमति नहीं दी जाती है।

इसी के साथ क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा जन सुनवाई के दौरान उपस्थित ग्रामवासियों का आभार व्यक्त करते हुऐ धन्यवाद के साथ पर्यावरणीय जनसुनवाई समाप्ति की घोषणा की गई।



(बलजीत मीणा)
क्षेत्रीय अधिकारी
सवाई माधोपुर



(अनील कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
करौली

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

जन सुनवाई हेतु नामित पदाधिकारियों, ग्रामवासी / जनप्रतिनिधियों का उपस्थिति पत्र

मैसर्स कोरल एसोसियेट्स द्वारा प्रस्तावित Sand Stone (Minor Mineral) खनन परियोजना, मैसर्स कोरल एसोसियेट्स प्लॉट न.- 30, खसरा न.- 1532 / 1619, एरिया 1.290 हैक्टर, उत्पादन क्षमता - 116428 टन (ROM), कलस्टर क्षेत्रफल - 9.044 हैक्टर, निकट ग्राम- कोटा, तहसील - मासलपुर व जिला - करौली, (राजस्थान) में स्थित परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 01.07.2026 को आयोजित जनसुनवाई की बैठक।

जनसुनवाई स्थल :- ग्राम पंचायत - कोटा (छावर) के "भारत निर्माण राजीव गाँधी सेवा केन्द्र", कोटा (छावर), तहसील - मासलपुर, जिला - करौली।

दिनांक : 01.07.2026.

समय : दोपहर: 1:00 बजे।

उपस्थिति पत्र

क्र.स.	नाम	पद नाम / कार्यालय / ग्राम	मोबाईल नम्बर	हस्ताक्षर
1.	आशु शर्मा		2976778888 89	आशु शर्मा
2.	रिशार सिंह	कोटा	7878055307 7976771589	रिशार सिंह
3.	काबिल हकी	कोटा छावर	8890015625	काबिल
4.	पि.एस.	कोटा	8940039318	पि.एस.
5.	पि.एस.	कोटा	2665880027	पि.एस.
6.	पि.एस.	कोटा	9982756445	पि.एस.
7.	अश्विनी	कोटा	7665277154	अश्विनी

8.	लेखनी-चन्द	छावर	8619109806	लेखनी-चन्द
9.	लक्ष्मी-नारायण	छावर		लक्ष्मी-नारायण
10.	वीरजी	कोटा		वीरजी
11.	वाकिलाम	कोटा (का/का)	9649859553	वाकिलाम
12.	जोरा दा	कोटा		जोरा दा
13.	हरीमाम	कोटा/का/का	9982231976	हरीमाम
14.	अपसिंह		9411529564	अपसिंह
15.	आरु बाबु	कोटा		आरु बाबु
16.	रिशाल सिंह	कोटा	7976771689	रिशाल सिंह
17.	अमल नाम	छावर	7665278134	अमल नाम
18.	पल्लव	मनीयापुरा	7568044628	पल्लव
19.	PAT KUMAR LUNAR	JEE RSPCB	8200010513	PAT KUMAR
20.	रमेश/कुमार	छावर	8890010584	रमेश
21.	अनिल कुमार	उपखण्ड अधिकारी कोटा	9828819257	
22.	Baljeet meena	RD, RSPCB, Sawab madhyan	9466239662	
23.	रंजीत सिंह	V.O.O. जयपुर	7871064462	Ranjit Singh
24.	स्वना कुमारी	पल्लव कोटा (का/का)	8325136389	Pas

25	Kaynat Am	Agis Emend R. P. L.	7726891608	Ph
26	Dar Chand	Wdaipe	8003182518	Sc
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				

वर्गिज अभियन्ता, खान
सवाईमाधोपुर।

पर्यावरण एवं जलवायु
2006 के प्रावधानों के
दिया जाना अनिवार्य है।

जन - सुनवाई दिनांक

निर्माण राजीव गाँधी सेवा

।-इस संबंध में लिखित

नियंत्रण मण्डल, क्षेत्रीय

आज्ञा से

मीणा) क्षेत्रीय अधिकारी

(4) कार्यालय जिला पार्षद, करौली। (5) जिला उद्योग केन्द्र, करौली। (6) खनिज अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान
विभाग, करौली। (7) क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सवाईमाधोपुर।

चूँकि, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना बाबत भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु
परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14/09/2006 के प्रावधानों के
अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर कम से कम 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।
अतः सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन - सुनवाई दिनांक
01.07.2026 को, ग्राम पंचायत कोटा (छावर), तहसील मासलपुर जिला करौली के 'भारत निर्माण राजीव गाँधी सेवा
केन्द्र' में समय सुबह 11:00 बजे उपस्थित होकर अपने सुझाव / आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं।-इस संबंध में लिखित
सुझाव / आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन से जनसुनवाई से पूर्व तक राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, क्षेत्रीय
कार्यालय, सवाई माधोपुर में भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

आज्ञा से

(बलजीत मीणा) क्षेत्रीय अधिकारी

न
भीम

राज.) 322001

l.com

दिनांक:- 13/05/2026

सूचना

Minor Mineral) खनन

128046 TPA (ROM),

के लिए पर्यावरण स्वीकृति

डल के समक्ष प्रस्तुत किया

क सार निम्न कार्यालयों में

स्य सचिव, राजस्थान राज्य

य जिला कलक्टर, करौली।

यन्ता, खान एवं भू विज्ञान

पुर।

वन, पर्यावरण एवं जलवायु

09/2006 के प्रावधानों के

टिस दिया जाना अनिवार्य है।

हेतु जन - सुनवाई दिनांक

रत निर्माण राजीव गाँधी सेवा

कते हैं।-इस संबंध में लिखित

नियंत्रण मण्डल, क्षेत्रीय

आज्ञा से

मीणा) क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्लॉट संख्या 14-15, मीणा कॉलोनी, जेल के पीछे सवाई माधोपुर (राज.) 322001

फोन नं.: 07462-294921 ई-मेल - rorpcb.swm@gmail.com

कमांक: रा.प्र.नि.मं./क्षे.का./स.मा./करौली- 1134/353-356

दिनांक:- 13/05/2026

पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स कोरल एसोसियेटेड Sand Stone (Minor Mineral) खनन
परियोजना, प्लॉट नं. 30, खसरा नं. 1532/1619, एरिया 1.290 हैक्टर, उत्पादन क्षमता-116428 TPA (ROM),
कलक्टर क्षेत्रफल 9.044 हैक्टर, निकट ग्राम- कोटा, तहसील-मासलपुर व जिला-करौली के लिए पर्यावरण स्वीकृति
के सम्बंध में जन सुनवाई हेतु आवेदन मध्य दस्तावेजों के राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया
गया है। उक्त परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय प्रभाव आकलन रिपोर्ट एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार निम्न कार्यालयों में
उपलब्ध है:- (1) पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय जयपुर। (2) सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य
प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना इंगरी, जयपुर। (3) कार्यालय जिला कलक्टर, करौली।
(4) कार्यालय जिला पार्षद, करौली। (5) जिला उद्योग केन्द्र, करौली। (6) खनिज अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान
विभाग, करौली। (7) क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सवाईमाधोपुर।

चूँकि, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना बाबत भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु
परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14/09/2006 के प्रावधानों के
अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर कम से कम 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।
अतः सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन - सुनवाई दिनांक
01.07.2026 को, ग्राम पंचायत कोटा (छावर), तहसील मासलपुर जिला करौली के 'भारत निर्माण राजीव गाँधी सेवा
केन्द्र' में समय दोपहर 01:00 बजे उपस्थित होकर अपने सुझाव / आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं।-इस संबंध में लिखित
सुझाव / आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन से जनसुनवाई से पूर्व तक राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, क्षेत्रीय
कार्यालय, सवाई माधोपुर में भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

आज्ञा से

(बलजीत मीणा) क्षेत्रीय अधिकारी

39/11.05.2026 2627WLRC00020 26_RISL_558452_1	RFP for Rate Contract of 2 years for Supply, installation and Commissioning of Surveillance equipment under Abhay Command and Control Project in the State of Rajasthan.	RS. 100.00 Cr. EMD as Per RFP	18.06.2026
--	---	----------------------------------	------------

Details can be seen on the websites <http://risl.rajasthan.gov.in>,
<http://sppp.rajasthan.gov.in>, <http://doitc.rajasthan.gov.in>. Bids are to be
submitted through <http://eproc.rajasthan.gov.in>
तज.संवाद/सी/26/2784

Additional Director



क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल



प्लॉट संख्या 14-15, मीणा कॉलोनी, जेल के पीछे सवाई माधोपुर (राज.) 322001

फोन नं.: 07462-294921 ई-मेल - rorpcb.swm@gmail.com

क्रमांक: रा.प्र.नि.मं./क्षे.का./स.मा./करौली-1134/353-356

दिनांक:- 13/05/2026

पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स कोरल एसोसियेटेड Sand Stone (Minor Mineral) खनन परियोजना, प्लॉट नं. 30, खसरा नं. 1532/1619, एरिया 1.290 हेक्टर, उत्पादन क्षमता-116428 TPA (ROM), कलस्टर क्षेत्रफल 9.044 हेक्टर, निकट ग्राम-कोटा, तहसील-मासलपुर व जिला-करौली के लिए पर्यावरण स्वीकृति के सम्बंध में जन सुनवाई हेतु आवेदन मय दस्तावेजों के राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। उक्त परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन रिपोर्ट एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है:- (1) पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय जयपुर। (2) सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना इंगरी, जयपुर। (3) कार्यालय जिला कलक्टर, करौली। (4) कार्यालय जिला परिषद, करौली। (5) जिला उद्योग केन्द्र, करौली। (6) खनिज अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, करौली। (7) क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सवाई माधोपुर।

चूंकि, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना बाबत भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14/09/2006 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर कम से कम 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है। अतः सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन - सुनवाई दिनांक 01.07.2026 को, ग्राम पंचायत कोटा (छावर), तहसील मासलपुर जिला करौली के 'भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र' में समय दोपहर 01:00 बजे उपस्थित होकर अपने सुझाव / आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं। इस संबंध में लिखित सुझाव / आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन से जनसुनवाई से पूर्व तक राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, सवाई माधोपुर में भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

आज्ञा से
(बलजीत मीणा) क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल



प्लॉट संख्या 14-15, मीणा कॉलोनी, जेल के पीछे सवाई माधोपुर (राज.) 322001

फोन नं.: 07462-294921 ई-मेल - rorpcb.swm@gmail.com

- 1.13 No labour camp
- 1.14 The User Agency staff working at areas
- 1.15 The forest land proposal
- 1.16 The layout plan of Central Government
- 1.17 The forest land proposal any other agency Government
- 1.18 No damage to the
- 1.19 Any tree felling supervision of the
- 1.20 The State Government Tribes and Other Tribes any, on the forest land by the MoEF
- 1.21 The user agency in alternate habitat/project. Bird's nest area, including forest diverted for the project
- 1.22 The User Agency shall 1st July of every year
- 1.23 The State Government shall submit in this report
- 1.24 Any other condition from time to time, forests & wildlife
- 1.25 The User Agency shall the all Acts, Rules, Regulations to the project
- 1.26 Grant of working permission Government in accordance Guidelines dated 28.0
- 1.27 User agency shall rediverted forest land State Forest Department Agency with the State
- 1.28 Compensatory afforestation plantation of 100 trees
- 1.29 If the proposed area Agency shall be obtained provisions of the extant
2. Standard conditions
- 2.1 The user agency shall central verge at project The user agency shall indigenous trees, as per plantation), on either side
- 2.2 The reclamation of quality Department. The quality project is closed.
- 2.3 Overburden shall not be at outcrops will